मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र 6819 / 22/वि–12/टी–2/Circular/2014 **भोपाल, दिनांक** 22/04/2014

प्रति,

1. मुख्य महाप्रबंधक **(समस्त)**
   मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
2. महाप्रबंधक **(समस्त)**
   मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
   परियोजना कियान्वयन इकाई.....

विषय– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विचलन प्रकरणों के संबंध में।
संदर्भ– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 13558 दिनांक 24.09.2012

—0—

प्राधिकरण के संदर्भित पत्र द्वारा समस्त महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया था कि कार्यो के संबंध में यदि विचलन की आवश्यकता हो तो विचलन प्रकरण कार्यादेश जारी होने के अधिकतम 6 माह के अन्दर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये जावे किन्तु उक्त निर्देश की कतिपय महाप्रबंधकों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। पूर्व में भी कुछ प्रकरण मेरे ध्यान में आये थे जिनमें कि महाप्रबंधकों के द्वारा अपने स्तर पर ही विचलन अनुसार कार्य करवाया गया एवं कार्य कराने के उपरांत विचलन की स्वीकृति हेतु प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित किये गये थे, जो उचित नहीं है।

मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि कुछ इकाइयों के द्वारा विचलन के प्रकरण तैयार किये गये हैं। जहॉ तक विचलन का प्रश्न उपस्थित होता है, इस संबंध में संबंधित इकाई को यह स्पष्ट करना होगा कि डी.पी.आर. बनाते समय सावधानी क्यों नहीं बरती गई जब कि प्रत्येक डी.पी.आर. बनाते समय Transit walk का प्रावधान है। इससे स्पष्ट होता है कि डीपीआर निर्माणकर्ता एजेन्सी एवं संबधित उपयंत्री/सहायक प्रबंधक के द्वारा पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती गई है, इसी कारण विचलन की स्थिति निर्मित हो रही है। यदि किसी इकाई के द्वारा विचलन का प्रकरण किया जाता है तो वह निम्न चैक लिस्ट के अनुसार विवरण प्रस्तुत करे साथ ही विचलन की स्थिति में मुख्य महाप्रबंधक की अनुसंशा आवश्यक रूप से संलग्न करें।

1. संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देर्शो के अनुरूप कार्यादेश जारी करने के 6 माह के अन्दर विचलन का अनुमोदन क्यों प्राप्त नही किया गया।
2. Transit Walk के समय सभी आवश्यक कार्यो का प्रावधान न करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम प्रेषित करें।
3. विचलन का औचित्यीकरण प्रेषित करें।
4. ऐसे मार्ग जिनमें किसी आवश्यक कार्य के कारण विचलन हो रहा है, का निरीक्षण मुख्य महाप्रबंधक द्वारा स्वयं किया जावे।
5. अतिरिक्त लागत का समयोजन इकाई के अन्य कार्यो की बचत से ही किया जावे।
6. समस्त कार्य जिनका कार्यादेश 6 माह पूर्व हो गया है एवं यदि उनमें विचलन की आवश्यकता है तो प्रकरण को निर्देश जारी होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम अधिकारी को प्रेषित करें।
7. डीपीआर कन्सल्टेन्ट के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण।

8. महाप्रबधंको को यह भी निर्देश दें कि विचलन का कार्य बगैर स्वीकृति के शुरू नही कराया जावे।

सभी मुख्य महाप्रबंधकों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह उनके अधीन इकाइयों में ऐसे प्रकरणों की तत्काल समीक्षा करें एवं आगामी 15 दिवस मे उपरोक्त व्यवस्था के अनुरूप प्रकरण मुख्यालय में प्रेषित करें।

Alka

(अलका उपाध्याय)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ. क्र. 6820 / 22/वि–12/टी–2/Circular/2014 **भोपाल, दिनांक**22/04/2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण, भोपाल।
2. मुख्य महाप्रबधंक (वित्त), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण, भोपाल।
3. वित्तीय सलाहकार/वित्तीय परामर्शकर्ता, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण, भोपाल।
4. समस्त महाप्रबंधक (तक), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।
5. गार्ड नस्ती, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।

Alka

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण,
भोपाल